



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation  
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002  
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्या : ए-49/16/3/2016\*रा.भा.

दिनांक : 02 अप्रैल, 2019

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय।
4. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर।
5. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल।

विषय : निगम कार्यालयों में प्रचलित मूल हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई मूल हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना निगम कार्यालयों में भी लागू है। यह योजना वित्त वर्ष पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 10 पुरस्कार देने की व्यवस्था है :-

1. ₹ 5,000/- प्रत्येक की दर से 2 प्रथम पुरस्कार।
2. ₹ 3,000/- प्रत्येक की दर से 3 द्वितीय पुरस्कार।
3. ₹ 2,000/- प्रत्येक की दर से 5 तृतीय पुरस्कार।

पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है कि इस प्रोत्साहन योजना में निगम कार्यालयों में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या नाममात्र की होती है। प्रतिभागियों की संख्या सीमित होने के कारण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अतः अनुरोध है कि उक्त प्रोत्साहन प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि अधिक से अधिक कार्मिक योजना से परिचित हो सकें और हिंदी में काम करने के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने हेतु निम्न विहित प्रपत्र में रिकॉर्ड रखा जाना अपेक्षित होता है। इसकी शेष शर्तें पूर्ववत हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी


पदनाम

द्वारा

माह के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का विवरण।

क्र. सं.	तिथि	हिंदी में किए गए कार्य की फाइल एवं रजिस्टर संख्या	हिंदी में लिखे गए टिप्पण/आलेखन के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए अन्य कार्य		नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)
				विवरण	शब्दों की संख्या	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


निवेदन है कि योजना के अंतर्गत सभी इच्छुक एवं पात्र कार्मिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएं और पुरस्कृत कार्मिकों की सूची मुख्यालय भिजवाएं।

  
(श्याम कुमार) 02.4.19.

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि :

वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)